



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-20082026-275611
CG-MH-E-20082026-275611

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4382]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 18, 2026/श्रावण 27, 1948

No. 4382]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 18, 2026/SHRAVAN 27, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 13 अगस्त, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 (24 of 1989) की धारा 20F के तहत

का.आ. 4562(अ) .— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20'च' की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में उल्लिखित मध्यस्थ को नियुक्त करती है, जो आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी है। सक्षम अधिकारी की यह नियुक्ति उक्त तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित जिले जो कि महाराष्ट्र राज्य में (i) 2027 में कुंभ मेले के दौरान यात्रियों के आवागमन हेतु मुंबई की दिशा में खेरवाडी रेलवे स्टेशन के गुड्स शेड के परिसंचारी क्षेत्र का विकास (ii) PH-16 :- देवलाली स्टेशन - कुंभ मेला 2027 के लिए सी एंड डब्ल्यू परीक्षण और स्टैंबलिंग सुविधाओं का प्रावधान (iii) PH-16 :-ओढा स्टेशन - 2027 में कुंभ मेला यातायात को संभालने के लिए स्टैंबलिंग लाइनों का प्रावधान (iv) PH-53:- कुंभ मेला 2027 के लिए कस्बे सुकेने स्टेशन पर रैंप सहित 6 मीटर चौड़े 2 फुट ओवर ब्रिज का प्रावधान" के संबंध में ऐसी विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के परियोजना से संबंधित है।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी	जिला
(1)	(2)	(3)
1.	अपर जिल्हाधिकारी, नासिक	नासिक

[फा. सं. G197/Nashik Kumbh 2027/Nashik District/Arbitrator/20F]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th August, 2026

Under clause 20F of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)

S.O. 4562(E).— In exercise of the powers conferred by **sub-section (6) of Section 20F** of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby appoints the **Arbitrator** mentioned in **column (2)** of the table below to perform the functions as such authority under the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the Special Railway Project of **(1) “Kherwadi Railway Station – Development of circulating area of Goods Shed in UP direction for holding passengers during Kumbh Mela traffic in 2027” (2) “Devlali – Provision of C&W examination and stabling facilities for Kumbh Mela 2027” (3) “Odha Station – Provision of stabling lines for handling Kumbh Mela traffic in 2027” (4) “PH-53 – Provision of 2 Nos. 6 M wide Foot Over Bridge with ramp at Kasbe Sukene Station for Kumbh Mela 2027”** in the state of Maharashtra relating to district mentioned in **column (3)** of the said Table for the purpose of execution, maintenance, management and operation of such special railway project.

Table

S.No	Officer	District
(1)	(2)	(3)
1.	Additional Collector, Nashik	Nashik

[F. No. G197/Nashik Kumbh 2027/Nashik District/Arbitrator/20F]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Con.)